निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :162/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

चिरंजी लाल पुत्र श्री औंकार जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी पुजारियों की ढाणी, मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिव चरण शर्मा आर॰ एस॰ एस॰ उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर।
2. रमेश चन्द्र डंगायच पुत्र श्री रामनारायण चौधरी जाति महाजन, निवासी रंगोली नगर, मोहन वाटिका के सामने, तूंगा रोड, बस्सी, जिला जयपुर ।
3. अंजू डंगायच पत्नी श्री रमेश चन्द डंगायच जाति महाजन, निवासी रंगोली नगर, मोहन वाटिका के सामने, तूंगा रोड, बस्सी, जिला जयपुर ।
4. सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री हरमुख राय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
5. जगदीश पुत्र श्री ओंकार जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी पुजारियों की ढाणी, मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 38/2018 ब उनवानी अंजू डंगायच बनाम औंकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गिर्राज शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.04.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 38/2018 ब उनवानी अंजू डंगायच बनाम औंकार विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री गिर्राज शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पेश होने के पश्चात प्रतिवादीगण को

नोटिस तलबी जारी किये गये जिसमें नियमित तारीख पेशियां चली आ रही थी। प्रकरण में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 औंकार पुत्र बिरधा का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2019 को हो गया जिसका प्रार्थी वारीसान है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि हमने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, रीडर व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर उक्त प्रकरण को अपने पक्ष में इच्छानुसार कैम्प मानसर खेड़ी में निस्तारण करवा लेंगे। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 4 के भाई का साला है और हमारे घरेलू एवं रिश्तेदारी संबंध है। हम बहुत ही राजनैतिक एवं प्रशासनिक पहुंच के व्यक्ति है। हमने अप्रार्थी संख्या 1 से बात कर ली है। वह मानसर खेडी कैम्प व अन्य राजस्व कैप में उक्त प्रकरण का निस्तारण हमारे कहे अनुसार मनमाफिक करवा लेंगे। आपको जो करना है जो कर लो, इस पर प्रार्थी ने हाथ जोड़ कर कहा कि हमारे अभी विरासत का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है एवं हमारी माताजी का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2021 को हो गया है जिसका कि अभी विरासत का नामान्तरकरण नहीं हुआ है फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 लगातार धमकियां दे रहे है, जिसमें जगदीश पुत्र औंकार हमारा भाई भी उनके साथ साथ मिला हुआ है एवं हमें लगातार जान माल की क्षति की धमकियां दे रहे है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण की जानकारी न्यायालय में जाकर की तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 व दो तीन अन्य व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय के बाहर मौजूद मिले प्रार्थी को देख कर एलानिया कहने लगे कि तुम्हें जो करना है सो कर लो, हमने बात चीत कर ली है एवं राजस्व कैम्पों में हमारे प्रकरण का निस्तारण हमारे मन माफिक करवा लेंगे। प्रार्थी को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपने उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। क्योंकि प्रकरण के पक्षकार अप्रार्थी संख्या 2 लगातय 5 द्वारा दी गई धमकी से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी, रीडर व कर्मचारियों के मध्य आपसी सांठ गांठ हो गई है और प्रार्थी को सुनवाई का बिना समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पक्ष में उसकी इच्छानुसार निर्णित किया जा सकता है। यदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर को उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु नहीं रोका गया तो, प्रार्थी को काफी हानि होने की सम्भावना है जिसका मूल्यांकन द्रव्य के रूप में किया जाना असम्भव है। प्रार्थी को किसी प्रकार की न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रार्थी के साथ अन्याय होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। है इसके बावजूद प्रार्थी ने काल्पनिक व मनघढन्त आरोप लगा कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. प्रार्थी ने प्रकरण का पीठासीन अधिकारी द्वारा कैम्पों में निस्तारण किये जाने की सम्भावना जताते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । अब कैम्प समाप्त होकर नियमित रूप से न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल

प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है उनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर